रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2019/श्रावण 16, 1941
No. 454] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

सा.का.नि.563 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, संयुक्त सचिव, भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, संयुक्त सचिव भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त सचिव	*1 (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200 – 218200/- रू)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति (प्रोन्नति + प्रतिनियुक्ति) (I) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क (131100-216600 रूपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित दो वर्ष सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रूपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित तीन वर्ष सेवा की हो, या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रूपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित आठ वर्ष सेवा की हो, और (ख) पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखता हो जिसमें संसदीय या विधायी कृत्यों में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (II) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900) में के ऐसे विभागीय निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, पर बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 1-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

[फा.सं. 3(24)/2016-प्रशासन]

डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2019

G.S.R.563(E). —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs, Joint Secretary Recruitment Rules, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Joint Secretary Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix. —The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed hereto.

3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection or non-selection post**	**Age-limit for direct recruitments**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Joint Secretary	**1***(2019) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Ministerial	Level 14 in the Pay Matrix (Rs144200-218200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Nil	Promotion /Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Composite Method (Promotion plus Deputation.) (I) Officers under the Central or State Government or Union Territories: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years’ service in the Level rendered after appointment thereto on a regular basis having pay in Level 13A (Rs.131100-216600) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department’ or (iii) With three years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis having pay in Level 13 (Rs.123100-215900) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iv) With eight years’ service in the grade	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

rendered after appointment thereto on a regular basis having pay in Level 12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing fifteen years' experience including five years' in Parliamentary or Legislative functions. (II) Departmental Director in the Level 13 (Rs.123100-215900) in the Pay Matrix with three years regular service in the grade will also be considered along with the outsider. If selected, the post would be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.)		

[F. No. 3 (24)/2016-Admn]

Dr. SATYA PRAKASH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.08 22:42:43 +05'30'